भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1081
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / सहायिकाओं और ममता दीदी को मानदेय

1081. **श्री अबू ताहेर खान:**
श्री दिनेश चंद्र यादवः
श्री गिरिधारी यादवः
डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बाः
श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रामप्रीत मंडल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनबाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) और ममता दीदी को मानदेय के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है;

(ख) क्या सरकार का उनके मानदेय में वृद्धि करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं / आंगनबाड़ी सहायिकाओं और ममता दीदी को वेतनभोगी कर्मचारी का दर्जा देने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल टीकाकरण प्रोत्साहन राशि समय पर वितरित की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): 15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों के लिए पोषण सहायता; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई) [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित

आंगनवाड़ी अवसंरचना के घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया है ताकि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों तक बेहतर पोषण पहुँचाया जा सके। मिशन के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से निम्नलिखित छह सेवाएँ प्रदान की जाती हैं:

I. पूरक पोषण (एसएनपी)
II. विद्यालयपूर्व अनौपचारिक शिक्षा,
III. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा,
IV. टीकाकरण,
V. स्वास्थ्य जांच, और
VI. रेफरल सेवाएँ

छह सेवाओं में से तीन, अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत "मानद कार्यकर्त्री" हैं जो स्थानीय समुदाय की मदद करने के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आते हैं जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच को मानदेय दिया जाता है जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। 1 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह कर दिया है; मिनी- आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय को 2,250/- रुपये से बढ़ाकर 3,500/- रुपये प्रति माह एवं आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय को 1,500/- रुपये से बढ़ाकर 2,250/- रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका को 250 रुपये प्रति माह का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए प्रोत्साहन मानदंड:

i. विकास निगरानी: प्रत्येक माह 0-6 आयु वर्ग के कम से कम 80% बच्चों का मापन किया जाना चाहिए।

ii. गृह दौरा: गृह दौरा कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और दो वर्ष तक की आयु के बच्चों का कम से कम 60% गृह दौरा होना चाहिए।

आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन मानदंड: महीने में कम से कम 21 दिन आंगनवाड़ी केंद्र खोलना।

इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन स्वैच्छिक कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/वित्तीय टॉप अप भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत, कुशल निगरानी और सेवा वितरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को स्मार्टफोन देकर तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में चल रही सभी गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी करना भी सुगम हुआ है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल शुरू की गई हैं:

(i) अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अनुपस्थिति, एक बार गर्भपात/गर्भस्त्राव होने पर 45 दिनों का सवेतन अनुपस्थिति।

(ii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करें, यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(iii) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, बशर्ते कि वे अन्य मानदण्डों को पूरा करती हों।

(iv) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को शामिल करता है) और 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज देने की घोषणा की गई है।

*****